

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठारीन अधिकारी-

रामरतन सौकरिया

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

आर.ए.एस.

67/2025 प्रा.पत्र/2025

09.07.2025

तारीख निर्णय

04.09.2025

डॉ. मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण, टोंक राज०

.....प्रार्थी

बनाम

1-श्री नानक राम रूपेता पुत्र श्री खिपल दास एफ.बी.ओ. मैसर्स पंकज सोडा एण्ड ज्यूस सेन्टर बावडी रोड के पास सदर बजार देवली जिला टोंक राज०। निवासी वार्ड नं० 13 तेली मोहल्ला देवली जिला टोंक राज०। मोबाईल नं० 9829951656

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित-

1-पेरोकार सरकार।

2-अप्रार्थी श्री नानक राम रूपेता उप०।

:-निर्णय:-

दिनांक 04/9/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 01.05.2025 को समय 03:31 पी.एम. पर मैसर्स पंकज सोडा एण्ड ज्यूस सेन्टर बावडी रोड के पास सदर बजार देवली जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री नानक राम रूपेता पुत्र श्री खिपल दास अपने प्रतिष्ठान मैसर्स पंकज सोडा एण्ड ज्यूस सेन्टर बावडी रोड के पास सदर बजार देवली जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री नानक राम रूपेता पुत्र श्री खिपल दास को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री नानक राम रूपेता पुत्र श्री खिपल दास ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री नानक राम रूपेता की उपस्थिति में प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में कुल्फी, ज्यूस, आईसक्रीम व अन्य खाद्य पदार्थ के साथ-साथ आईसक्रीम (Ice-Cream Vanilla Flavour Toned Milk Based) दुकान में फ्रीजर में प्लास्टिक की बाल्टी में लगभग 5 किलोग्राम आईसक्रीम वास्ते आम जनता को विक्रय के दुकान रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री नानक राम रूपेता पुत्र श्री खिपल दास को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री नानक राम रूपेता पुत्र श्री खिपल दास व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि आईसक्रीम (Ice-Cream Vanilla Flavour Toned Milk Based) दुकान में फ्रीजर में प्लास्टिक की बाल्टी में लगभग 5 किलोग्राम आईसक्रीम (Ice-Cream Vanilla



.....  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक

**Flavour Toned Milk Based)** में से 1200 ग्राम वास्ते नमूना जांच कइ किया जा रहा है, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **आईसक्रीम (Ice-Cream Vanilla Flavour Toned Milk Based)** 1200 ग्राम **आईसक्रीम** को बराबर-बराबर प्लास्टिक की 4 साफ व सूखी चार शिशियों में बराबर-बराबर प्रत्येक शिशी में 300-300 ग्राम कुल्फी भरकर बतौर परिरक्षित 40 प्रतिशित वाली फार्मेलिन की 36-36 बूंदे डालकर अच्छी तरह हिला मिलाकर शिशियों के ढक्कन लगाकर अच्छी एयरटाईट किया, नियमानुसार चार भाग तैयार किये, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-4349 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर रिलप नं. आई-4349 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर रिलप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य विकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2025/751 दिनांक 03.06.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.एल0एस0/2123/एक्ट/2025/2105 दिनांक 14.05.2025 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कइ किया गया **आईसक्रीम (Ice-Cream Vanilla Flavour Toned Milk Based)** एफ.एफ.एस.ए. की धारा 3(1)(zx) का उल्लंघन करने के कारण **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री नानक राम रूपेता स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **आईसक्रीम (Ice-Cream Vanilla Flavour Toned Milk Based)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।



*Handwritten signature*  
जिला माजस्ट  
टोंक

हमने अप्रार्थी एवं परोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया आईसक्रीम (Ice-Cream Vanilla Flavour Toned Milk Based) का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 10,000/- (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



निर्णय आज दिनांक 04/9/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सािकरिया)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक  
न्याय निर्णय अधिकारी एवं  
टोंक-राज0